13.3.26 पत्रावली पेश हुई अपिलान्ट अनुपस्थित रेस्पोंडेन्ट गण अनुपस्थित, न्यायालय हाजा द्वारा बार-बार आवाज़ लगाने के उपरान्त भी अपिलान्ट अनुपस्थित रहे, अपिलान्ट द्वारा न्यायालय मे प्रकरण दर्ज कराया, न्यायालय को यह अपेक्षा रहती है की वे अपना पक्ष उपस्थित होकर रखे, अपिलान्ट अनुपस्थित रहने से यह प्रतीत होता है की अपिलान्ट को कोई रुचि नही है, अपिलान्ट अनुपस्थित रहने से प्रकरण अदम-हाजरी, अदम पैरवी मे इसी स्तर पर खारीज किया जाता है,

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।